

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/एल-01-18/2023-

/स्वा0, पटना, दिनांक .

विभागीय ज्ञापांक 504(3) दिनांक 25.07.2023 के क्रम में डा0 अनिता कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, पी0एस0एम0 विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर, सम्प्रति असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बॉका का दिनांक 27.06.2023 से 05.07.2023 तक कुल-09 (नौ) दिन विदेश (लंदन) में बिताये गये अवधि को वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 2070(25) दिनांक 26.12.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक

115(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक 25/02/25

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भागलपुर प्रमडल, भागलपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा0 अनिता कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, पी0एस0एम0 विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर, सम्प्रति असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बॉका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि. विभागीय प्रशाखा-2, 9, एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Wfama K 25/02/25
सरकार के अवर सचिव